न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्री कमल कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 31/18 दावा

निर्णय दिनांक 13/7/17

बउनवान

1. तेजराज उम्र 37 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकडं
2. सोनू उम्र 23 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासीगण रूपाहेडा तहसील कनवास।

वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र कान्हा।
2. अनुसूईया पुत्री भैरूलाल।
3. फूलन्ता पुत्री भैरूलाल।
4. राजकांता पुत्री भैरूलाल।
5. रोशन पुत्री भैरूलाल।
6. सोसरबाई पत्नी भैरूलाल जातियान धाकड निवासीगण रूपाहेडा तहसील कनवास।
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
वादीगण की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार जैन।
प्रतिवादीगण 01 लगायात 06 की ओर से एडवोकेट त्रिलोक विजय
प्रतिवादी क्रम 07 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 148 की 1.80 है0, खसरा नबंर 149 की 0.01 है0, खसरा नबंर 150 की 1.63 है0, खसरा नबंर 158 की 0.01 है0, खसरा नबंर 160 की 3.77 है0, खसरा नबंर 161 की 0.18 है0, खसरा नबंर 162 की 0.08 है0, खसरा नबंर 187 की 0.01 है0, खसरा नबंर 188 की 2.71 है0, खसरा नबंर 546 की 0.04 है0, खसरा नबंर 601 की 0.04 है0, इसी प्रकार कुल किता 11 की 10.28 है0, कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में वादीगण के दादा श्री कान्हा पुत्र कालू जाति धाकड निवासी रूपाहेडा के नाम दर्ज रही है, श्री कान्हा का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके स्वर्गवास के उपरान्त उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में उनके पुत्र भैरूलाल, रामचन्द्र व पत्नी कल्याणी के नाम दर्ज हुई, उक्त कृषि भूमि में से कल्याणीबाई ने उनके हिस्से की रिलीज डीड उनके पुत्रों भैरूलाल व रामचन्द्र के पक्ष में करवा दी, श्री कान्हा के दोनो पुत्रों भैरूलाल व रामचन्द्र के मध्य उक्त कृषि भूमि का विभाजन होने के उपरान्त श्री भैरूलाल जो कि उक्त वाद में प्रतिदी नबंर 01 के पक्ष में खसरा नबंर 158 की 0.01 है0, खसरा नबंर 160 की 3.77 है0, खसरा नबंर 187 की 0.01

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

है0, खसरा नबंर 188 की 1.35 है0, इसी प्रकार कुल किता 04 की 5.14 है0, कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई, उक्त कृषि भूमियों पैतृक कृषि भूमियां है, जिनमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 05 का जन्म से अधिकार है। उक्त कृषि भूमियों में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 05 का सहदायिक होने से प्रत्येक इन्च भूमि में हक व हिस्सा है। वादीगण पैतृक कृशि भूमि में अपने हक व हिस्से अनुसार भाांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है, वादीगण का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है :–

स्व0 कान्हा

भैरूलाल पुत्र — रामचन्द्र पुत्र — कल्याणी पत्नी

तेजराज पुत्र — सोनू पुत्र — अनुसूईया पुत्री — फूलन्ता पुत्री — राजकांता पुत्री — रोशन पुत्री — सोसरबाई पत्नी

यह कि वादीगण की जानकारी में आया है कि प्रतिवादी क्रम 01 राजस्व में नाम मात्र दर्ज होने का फायदा उठाने की नियत से उक्त कृषि भूमियों को गुपचुप तरीके से हस्तान्तरण करने पर आमदा है, जिसका कि प्रतिवादी क्रम 01 का कोई अधिकार नंही है, क्योंकि उक्त कृषि भूमियां पैतृक कृषि भूमियां रही है, जिनमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 06 का प्रतिवादी क्रम 01 के साथ हक व हिस्सा है। प्रतिवादी क्रम 01 अपने कृत्य से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 05 जो कि प्रतिवादी क्रम 01 के क्रमशं पुत्र व पुत्रियां है, तथा प्रतिवादी नबंर 06 जो कि प्रतिवादी नबंर 01 की पत्नी है, को उनके हक एवं हिस्से से महरूम करने को तत्पर है , जिसको रोकने के लिये वादीगण के पास माननीय न्यायालय की भारण में आने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नंही रहा है, प्रतिवादी क्रम 01 के द्वारा किये जा रहे गुपचुप प्रयासों से वादीगण के लिय यह आवश्यक हो गया है, कि वे प्रतिवादी क्रम 01 के साथ उक्त कृषि भूमियों में अपना नाम भी राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवा लेवें। इसलिये वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि प्रतिवादीगण के विरूद्व खातेदारी घोशणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायताए चाहने के लिये वाद प्रस्तुत करें, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वादीगण द्वारा पुनः वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 06 को ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 158 की 0.01 है0, खसरा नबंर 160 की 3.77 है0, खसरा नबंर 187 की 0.01 है0, खसरा नबंर 188 की 1.35 है0, इसी प्रकार कुल किता 04 की 5.14 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जावे, उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी नबंर 02 लगायत 06 का नाम खाते में दर्ज करते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें साथ ही यह प्रतिवादी नबंर 01 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निशेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वह ग्राम रूपाहेडा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास के खसरा नबंर 158 की 0.01 है0, खसरा नबंर 160 की 3.77 है0, खसरा नबंर 187 की 0.01 है0, खसरा नबंर 188 की 1.35 है0, इसी प्रकार कुल किता 04 की 5.14 है0, कृषि भूमि को राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर उक्त कृषि भूमियों को किसी प्रकार से हस्तान्तरण आदि करने का प्रयास नंही करें।

कार्यालय उपखण्ड अधि...

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास, जिला कोटा (राज0)

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा दिनांक 29.08.2018 को जर्ये एडवोकेट उपस्थित दी। साथ ही जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित मद नबंर 01 लगायत 06 को स्वीकर कर निवेदन किया कि मुताबिक वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 06 को ग्राम रूपाहेडा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास के खसरा नबंर 158 की 0.01 है0, खसरा नबंर 160 की 3.77 है0, खसरा नबंर 187 की 0.01 है0, खसरा नबंर 188 की 1.35 है0, इसी प्रकार कुल किता 04 की 5.14 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जावे, उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 06 का नाम खाते में दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने व प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नंही है। साथ ही तहसीलदार कनवास द्वारा भी जवाब सरकार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आपसी बंटवारे से कोई राजहित प्रभावित नंही है।

हमारे द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों संलग्न दस्तावेज, जवाब प्रतिवादी 01 लगायत 6 एवं जवाब सरकार का गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि मुताबिक वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 06 को ग्राम रूपाहेडा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास के खसरा नबंर 158 की 0.01 है0, खसरा नबंर 160 की 3.77 है0, खसरा नबंर 187 की 0.01 है0, खसरा नबंर 188 की 1.35 है0, इसी प्रकार कुल किता 04 की 5.14 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाना एवं उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 06 का नाम खाते में दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने व प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 06 को ग्राम रूपाहेडा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास के खसरा नबंर 158 की 0.01 है0, खसरा नबंर 160 की 3.77 है0, खसरा नबंर 187 की 0.01 है0, खसरा नबंर 188 की 1.35 है0, कुल किता 04 की 5.14 है0, कृषि भूमि पर प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 06 का नाम खाते में दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे व प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त खाते में रहन यथावत रहेगा। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/2/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास (राज०)

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure vode, appendix"d"I')

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्री कमल कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 31/18 दावा **निर्णय दिनांक**

बउनवान

1. तेजराज उम्र 37 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड
2. सोनू उम्र 23 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासीगण रूपाहेडा तहसील कनवास।

वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र कान्हा।
2. अनुसूईया पुत्री भैरूलाल।
3. फूलन्ता पुत्री भैरूलाल।
4. राजकांता पुत्री भैरूलाल।
5. रो2 ान पुत्री भैरूलाल।
6. सोसरबाई पत्नी भैरूलाल जातियान धाकड निवासीगण रूपाहेडा तहसील कनवास।
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

दावा वास्ते अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नबंर 31/18 निर्णय दिनांक .... सन् 2018

यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 06 की ओर से एडवोकेट श्री त्रिलोक विजय तथा प्रतिवादी क्रम 07 पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वंय उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 06 को ग्राम रूपाहेडा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास के खसरा नबंर 158 की 0.01 है0, खसरा नबंर 160 की 3.77 है0, खसरा नबंर 187 की 0.01 है0, खसरा नबंर 188 की 1.35 है0, कुल किता 04 की 5.14 है0, कृशि भूमि पर प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृशक घोषित किया जाता है एवं उक्त घोशणा के अनुक्रम में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 06 का नाम खाते में दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त खाते में रहन यथावत रहेगा। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ....X.... मुबलिग ....X.... बाबत

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिलाकोटा(राज0)

....X.... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद व शरह ....X....फसीदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X..... को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख ..13.....माह ......2............. सन्..19 को जारी की गई।

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	-		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	-		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीश कमीशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुरफर्रिक			मीजान		
मीजान					

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा(राज०)